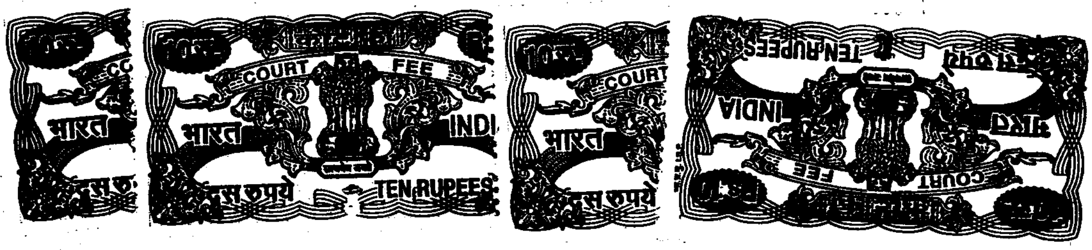

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, श्रृंखला न्यायालय भोपाल म0प्र0

R 1262-PBR/17

महेश कुमार आयु 45 वर्ष आ0 मदनलाल विश्वकर्मा,
निवासी अशोक वार्ड पिपरिया, तहसील पिपरिया,
जिला होशंगाबाद म0प्र0 .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म0प्र0शासन,
द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपरिया
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद म0प्र0

2. महंत यंगेश्वरदास गुरू स्व0महंत श्री सुखरामदासजी,
श्री मूर्ति रामजानकी मंदिर बड़िया वाला पिपरिया
जिला होशंगाबाद म0प्र0 .... उत्तरवादीगण

श्री एम. एल. मालवीय अभि. द्वारा आज दि. 27-4-17 को कोर्ट भोपाल में प्रस्तुत किया
27-4-17

प्रस्तुत दिनांक : 27.04.2017

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0भू0रा0संहिता :

अपीलार्थी माननीय आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.अ.क्र. 42/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2016 से परिवेदित होकर यह अपील निम्नलिखित कानूनी एवं वाकयाती मुददों पर प्रस्तुत करते हैं । अपीलार्थी की ओर से विनय है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला होशंगाबाद

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1262–पीबीआर/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 29–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 1.42 एकड़ मध्यप्रदेश शासन दर्ज है, जिस पर आवेदक ने निर्माण किया जाना स्वीकार किया है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होकर उसके स्वामित्व की है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	